किया गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं (अवर सचिव) की श्रेणी I के 76 अधिकारी (सेलैक्शन ग्रेड) (उप-सचिव) पदोन्नत किए गए और 186 अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं (अवर-सचिव) की श्रेणी –I में पदोन्नत किया गया।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं की श्रेणी-I और सेलैक्शन ग्रेड में दीर्घकालीन नियुक्तियां के लिए चुनाव अखिल सचिवालय के आधार पर केवल योग्यता के आधार पर किया जाता है। जहां योग्यताओं के आधार पर नियुक्तियां की जाती है, वहां, स्वभावतः ही वरिष्ठता का पूर्णतः अनुसरण करना सम्भव नहीं है।

अल्पकालीन नियुक्तियों में, पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर, योग्यता को ध्यान में रखते हुए की जाती है, किन्तु अल्पकालीन नियुक्तियों के लिए, अन्तर-मन्त्रालय स्थानान्तरण प्रशासकीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। अतः ऐसी पदोन्नतियां सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग के वरिष्ठता-क्रम के अनुसार होती है। इसलिये यह सम्भव है कि कुछ मन्त्रालयों में अल्पकालीन नियुक्तियां पर कनिष्ठ अधिकारी स्थानापन्न रूप से नियुक्त हो सकते हैं परन्तु ऐसी नियुक्तियां उनको नियमित आधार पर नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करतीं।

दिल्ली में धर्मपुरा में मकान का गिरना

123. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 29 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में धर्मपुरा स्थित मकान के गिरने के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कार्य पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की अवधि को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 31 मई, 1967 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है अतः आशा है कि उस अवधि तक जांच कार्य पूरा हो जाएगा।

डाक कार्य

124. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक बचत बैंक, मनीआर्डर, वी० पी० पी० तथा अन्य रसीदों के फार्म डाक व तार विभाग को केवल अंग्रेजी में ही सप्लाई किये जाते है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें हिन्दी में न छापने के क्या कारण है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) बहुत सी रसीदें—जैसे कि जमाकर्ता की डाकघर बचत बैंक पास बुक के लिए रसीदें, तार मनीआर्डरों की रसीदें और रजिस्ट्री वस्तुओं के वितरण के लिए प्राप्तकर्ताओं की पावतियों को द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में छापने के लिए पहले से ही आदेश दिए जा चुके है। शाखा डाकघरों द्वारा जारी की जाने वाली रसीदें भी हिन्दी या अंग्रेजी में अलग-अलग उपलब्ध है। रजिस्ट्री पत्रों और पार्सलों के लिए वी० पी० पी० रसीदों और प्राथमिक

बचत बैंक रसीदों जैसे कुछ अन्य रसीद-फार्मों का अनुवाद भी हो चुका है और वे निकट भविष्य में ही इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ख) 2,000 से ऊपर फार्म डाक-तार विभाग में इस्तेमाल में लाये जाते हैं। चूंकि उनके अनुवाद और छपाई का काम बड़ा भारी है, अतः उसमें निश्चय रूप से कुछ समय तो लगेगा ही। फिर भी जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा सभी फार्म हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

7 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में हुए गोलीकाण्ड में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्ति

125. श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 नवम्बर, 1966 को संसद भवन, नई दिल्ली के सामने गोरक्षा आन्दोलन पर हुये गोली काण्ड के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मारे गये, कितने व्यक्तियों के अंग जाते रहे तथा कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ख) जो लोग मारे गये, तथा घायल हुये उनमें महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या मारे गये व्यक्तियों का शव परीक्षण किया गया था और यदि हां, तो क्या शव परीक्षण परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(घ) क्या यह सच है कि परिवार के सदस्यों के अनुरोध करने पर भी मारे गये लोगों के शव उनको नहीं दिये गये थे; और

(ङ) क्या यह सच है कि 7 नवम्बर, 1966 को गोली मध्य प्रदेश पुलिस ने चलाई थी?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मारे गये व्यक्तियों की संख्या 8

अपंग होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1

घायल व्यक्तियों की संख्या 41

(ख)	मृत	घायल
पुरुष	7	41
स्त्रियां	—	—
बच्चे	1	(सोलह वर्ष का लड़का)

(ग) जी हां। शव परीक्षण-रिपोर्ट की प्रतियां सदन के सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) मारे गये आठ व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों के शवों को न तो किसी ने मांगा और न पहचाना इसलिये उनका अन्तिम संस्कार पुलिस द्वारा कर दिया गया। एक शव मरने वाले के सम्बन्धियों को दे दिया गया।

(ङ) जी नहीं।

I.C.S. Officers

127. Shri S. R. Damani: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the present strength of I.C.S. Officials and the places where they are stationed at present;

(b) whether any I.C.S. official has resigned from Government service during the last three years; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The strength of